भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4107

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

सरकारी स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना

†4107. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के बारे में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे सरकारी विद्यालयों की संख्या और प्रतिशत कितना है जहां उपयोग करने योग्य शौचालयों (विशेषकर लड़कियों के लिए), पेयजल, बिजली, चारदीवारी और इंटरनेट सुविधा जैसी अनिवार्य अवसंरचना का अभाव बना हुआ है;

(घ) क्या इन कमियों के कारण छात्रों की विशेषकर लड़कियों और अतिवंचित वर्ग के छात्रों की उपस्थिति कम और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक होती है तथा शिक्षा से समझौता होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकारी स्कूलों में शत-प्रतिशत बिजली, उपयोग करने योग्य शौचालयों और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड़): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूल शिक्षा क्षेत्रों संकेतकों पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाईज़+) विकसित की है। यूडाईज़+ के अनुसार, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए जीर्ण-शीर्ण भवनों वाले स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।

यूडाईज़+ 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बालिका शौचालय, बालक शौचालय, पेयजल, बिजली, चारदीवारी और इंटरनेट वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

वर्ष	निम्नलिखित सुविधायुक्त सरकारी स्कूलों का प्रतिशत					
	बालिका शौचालय	बालक शौचालय	पेयजल	बिजली कनेक्शन	चारदीवारी	इंटरनेट सुविधा
भारत	97.1	94.8	98.4	92.4	64.9	46.2

यूडाईज़+ के अनुसार, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए बालिकाओं और सीमांत समूहों, जैसे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के संबंध में स्कूल छोड़ने की दर नीचे दी गई है:

सामाजिक श्रेणी	वर्ष 2022-23						वर्ष 2023-24					
	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		माध्यमिक		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		माध्यमिक	
	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ	कुल
समग्र	7.8	7.8	8.3	8.1	15.4	16.4	1.7	1.9	5.3	5.2	12.6	14.1
अनुसूचित जाति	10.1	10.4	11.1	11.1	17.9	19.3	2.7	2.9	6.6	6.6	13.5	15.4
अनुसूचित जनजाति	7	7.1	10	10.1	22	23.4	2.3	2.6	6.4	6.9	17.7	19.6

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (एनसीईआरटी) द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों में आधारभूत दक्षता विकास का आकलन किया गया। इसमें 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमावली के अनुसार स्कूलों में बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने की ज़िम्मेदारी और अधिदेश रखती हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें प्रमुख/छोटी मरम्मत, कार्यात्मक शौचालय (बालक/बालिकाएँ), बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक पेयजल सुविधा और चारदीवारी जैसे कार्य शामिल हैं। तदनुसार, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/प्राक्कलन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। प्रबंध पोर्टल के अनुसार विभिन्न गतिविधियों पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) में स्वीकृत वित्तीय बजट https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने 185755.070 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से 7297 जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के उन्नयन को मंजूरी दी है।

*****